रिट पिटीशन (सिविल) 276/2012 मॉ वैष्णों देवी महिला महाविद्यालय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा आई0ए0 नं0–9/2016 में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक–28–3–2016 तथा रिट पिटीशन (सिविल) नं0–174/2015 बाबा शिवनाथ सिंह शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाम नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजूकेशन एवं अन्य के अनुपालन में एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों को डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) पाठ्यकम के संचालन के लिए शैक्षिक सत्र 2016–17 के लिए निर्गत की गयी सम्बद्धताओं को 2017–18 किये जाने के संबंध में न्याय विभाग के परामर्श के कम में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2017 को अपरान्ह 04:30 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए :–

1. श्री देव प्रताप सिंह, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।
2. श्री सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद।
3. श्रीमती सुत्ता सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति/सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।

सर्वप्रथम बैठक में सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति/सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा यह अवगत कराया गया कि रिट पिटीशन (सिविल) संख्या–276/2012 मां वैष्णोदेवी महिला महाविद्यालय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा आई0ए0 नं0–9/2016 में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2016 के अनुपालन में एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन के लिए शैक्षिक सत्र 2016–17 की सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु समय सारिणी निर्धारित करते हुए निजी बी0टी0सी0 संस्थानों को शैक्षिक सत्र 2016–17 की सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अंतिम तिथि 30.05.2016 निर्धारित की गयी थी। रिट पिटीशन (सिविल)174/2012 बाबा शिवनाथ सिंह शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाम एन0सी0टी0ई0 एवं अन्य में तथा रिट पिटीशन (सिविल) नं0–174, 175, 181, 269, 243, 348, 406, 347, 484, 342, 433 एवं 610 ऑफ 2015 (उ0प्र0 से संबंधित) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 के पैराग्राफ 2 का उपयुक्त अंश, एवं पैराग्राफ 11(iv) एवं (v) निम्नवत् है–

"2- The Petitioners have been granted recognition by the National Council for Teacher Education ("NCTE" for short) course (hereinafter reffered to as "The BTC course")

11. (iv) The Academic session 2015-16 similarly will be brought its earliest conclusion so that the next academic session can begin as per the original academic calendar i.e. July, 2017 and thereafter each academic session will strictly adhere to the academic calendar to the state.

(v) We direct all authorities i.e. NCTE and SCERT to strictly comply with and adhere to the above directions and not to permit recognition or affiliation beyond the dates mentioned in Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalaya (supra) and not to grant

admissions beyond such dates which may have the effect of putting the date of commencement of the concerned academic session itself in peril."

2– रिट पिटीशन मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय तथा रिट पिटीशन बाबा शिवनाथ सिंह शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश और दिशा निर्देश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2016–17 की डी0एल0एड0 (बी0टी0सी) की सम्बद्धता दिनांक 30.05.2016 तक दी जानी थी तथा प्रशिक्षण सत्र नियमित करना था। इस क्रम में लगभग 1557 निजी बी0टी0सी0 संस्थाओं को राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति के अनुसार शैक्षिक सत्र 2016–17 के लिए सम्बद्धता आदेश निर्धारित तिथि दिनांक 30.05.2016 के पश्चात निर्गत किये गये हैं। इन समस्त सम्बद्धताओं को शैक्षिक सत्र 2016–17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017–18 से प्रभावी माने जाने के संबंध में न्याय विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया, जो निम्नवत है :–

अतः प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव के उक्त शैक्षिक सत्र 2016–17 के लिए निर्गत की गयी समस्त सम्बद्धताओं को शैक्षणिक सत्र 2016–17 को शून्य घोषित करते हुए वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित तिथि के अंतर्गत सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में प्रशासकीय विभाग शैक्षिक सत्र 2016–17 के लिए निर्गत की गयी समस्त संबद्धताओं को शैक्षिक सत्र 2016–17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017– 18 से प्रभावी मानने के संबंध में स्वविवेक से निर्णय लेना चाहें।"

3– न्याय विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में इस बिन्दु पर विचार किया गया कि यदि शैक्षणिक सत्र 2016–17 को शून्य घोषित करते हुए शैक्षिक सत्र 2017–18 के लिए निर्धारित तिथि के अंतर्गत सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में शैक्षिक सत्र 2016–17 के लिए निर्गत की गयी समस्त संबद्धताओं को शैक्षिक सत्र 2016–17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017–18 से प्रभावी मानने पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि तथा डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के छात्र–छात्राओं के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? विचार विमर्श के परान्त यह मत स्थिर हुआ कि शैक्षिक सत्र 2016–17 को शून्य घोषित करने तथा निर्गत सम्बद्धताओं को शैक्षिक सत्र 2016–17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017–18 करने पर निम्नवत् प्रभाव होगें–

(1) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन होगा। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम का शैक्षिक सत्र नियमित हो जायेगा।

(2) छात्र–छात्राओं द्वारा प्रशिक्षण हेतु आवेदन किया गया है। 2016–17 का शैक्षिक सत्र प्रवेश वर्ष 2017–18 में संचालित करने से छात्रों को कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं

होगा क्योंकि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दो वर्षीय है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत ही उन्हें उपाधि प्राप्त होगी।

(3) शैक्षिक सत्र 2017–18 तक के लिए निर्गत सभी सम्बद्धताओं वाले शैक्षिक संस्थानों को डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम के छात्र–छात्राएं उपलब्ध हो सकेगें।

उपर्युक्त के दृष्टिगत न्याय विभाग के परामर्श के आलोक में सर्व सम्मति से **"शैक्षिक सत्र 2016–17 को शून्य घोषित करने तथा शैक्षिक सत्र 2016–17 के लिए दिनांक 30.05.2016 के पश्चात् निर्गत सभी सम्बद्धताओं को शैक्षिक सत्र 2017–18 से प्रभावी मानने का निर्णय लिया गया ।**

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–11
संख्या– 1508/15–11–2017
लखनऊः दिनांक 17 जुलाई, 2017

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति /सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
17/7/17
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृ0सख्याः डी0एल0एड0–16/ 5192-5264 /2017–18 दिनांक 17 जुलाई 2017

उपर्युक्त की प्रति निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।
2. निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रबन्धक/सचिव, निजी डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश।

17.7.17

डॉ0(श्रीमती) सुत्ता सिंह
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
17/7/17